तेन्द्र

(नियम 26)

अज अदालत सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.),मुकाम–सिरोही(राज.)

वादीगण	बनाम	प्रतिवादीगण
मगनराम पुत्र श्री वालाजी जाति मेघवाल नि. मांकरोडा व अन्य		छगनलाल पुत्र श्री पुराजी जाति मेघवाल नि. मांकरोडा व अन्य

किस्म मुकदमा,
राजस्व वाद अ.धारा 212 आर.टी.एक्ट

राजस्व वाद सं. 120 / 2025

दिनांक	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुये
08–12–2025	पत्रावली पेश हुई। वकील पक्षकारान व प्रार्थी मगनराम उपस्थित। प्रकरण में मूल वाद संख्या 49 / 25 मगनराम बनाम छगनलाल में वादीगण ने राजीनामा प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है पटवार हल्का सिरोही–2 खसरा संख्या 3372 किस्म बारानी 1 रकबा 1.1700 हेक्टेयर की कृषि भूमि स्वर्गीय भावा वल्द धुलाजी के जीवनकाल में उनके पुत्रगण पुराजी व चेनाजी एवं पुत्री धरमी के मध्य हुये उक्त पारिवारिक सेटलमेन्ट में वर्णित कृषि भूमि पुराजी पुत्र भावाजी एवं उनके वंश वारिसान अर्थात् प्रतिवादीगण छगनलाल, नारायणलाल, भीमाराम, बुटाराम उर्फ शंकरलाल पुत्रगण कारी पत्नि पुराजी मेघवाल व कमलादेवी पुत्री कारी पत्नि पुराजी मेघवाल के हक में आई हुई होना सही एवं सत्य मानते हुये तथा आयन्दा वर्णित कृषि भूमि प्रतिवादीगण छगनलाल, नारायणलाल, भीमाराम, बुटाराम उर्फ शंकरलाल पुत्रगण कारी पत्नि पुराजी मेघवाल व कमलादेवी पुत्री कारी पत्नि पुराजी मेघवाल के संयुक्त खातेदारी मालकाना हक अधिकार एवं कब्जे काश्त की होना स्वीकार करते हुये वादीगण एवं प्रतिवादीगण के मध्य आपसी सहमति से लोक अदालत की भावना से राजीनामा हो चुका है। वर्णित कृषि भूमि प्रतिवादीगण छगनलाल, नारायणलाल, भीमाराम, बुटाराम उर्फ शंकरलाल पुत्रगण कारी पत्नि पुराजी मेघवाल व कमलादेवी पुत्री कारी पत्नि पुराजी मेघवाल कें संयुक्त खातेदारी कब्जे काश्त की है, एवं भविष्य में रहेगी। जिसमे वादीगण एवं उनके किसी भी वंश वारिसान का कोई मालकाना हक अधिकार, स्वत्व या कब्जा नही है एवं उपरोक्त वर्णित कृषि भूमि में आयन्दा हम वादीगण तथा हमारे अन्य किसी वंश वारिसान को किसी प्रकार का कोई खातेदारी हक अधिकार, कब्जा या स्वत्व जताने या बताने का अधिकार भविष्य में नही रहेगा। वर्णित कृषि भूमि को प्रतिवादीगण छगनलाल, नारायणलाल, भीमाराम, बुटाराम उर्फ शंकरलाल पुत्रगण कारी पत्नि पुराजी मेघवाल व कमलादेवी पुत्री कारी पत्नि पुराजी मेघवाल बतौर खातेदार कृषक आपकी इच्छानुसार उपयोग व उपभोग कर सकेगे। तथा प्रतिवादीगण छगनलाल, नारायणलाल, भीमाराम, बुटाराम उर्फ शंकरलाल पुत्रगण कारी पत्नि पुराजी मेघवाल व कमलादेवी पुत्री कारी पत्नि पुराजी मेघवाल उपरोक्त पद संख्या एक में वर्णित कृषि भूमि को उनकी इच्छानुसार विक्रय, बक्षीस, वसीयत, रहन, लीज या अन्य प्रकार हस्तान्तरित कर सकेगे, कृषि भूमि को आवासीय या अन्य प्रयोजनार्थ रूपानन्तरित करवा सकेगे।	

जिसमें वादीगण एवं उनके अन्य किसी वंश वारिसान को भविष्य में किसी प्रकार का कोई उजर एतराज नहीं रहेगा। वर्णित कृषि भूमि के सम्बन्ध में आयन्दा हम वादीगण एवं हमारे अन्य किसी वंश वारिसान को राजस्व न्यायालय या अन्य किसी भी न्यायालय में वाद या कार्यवाही परस्तुत करने का अधिकार किसी भी रूप से नही रहेगा। जिसमें वादीगण एवं उनके वंश वारिसान को भविष्य में किसी प्रकार का कोई उजर एतराज करने का अधिकार नही रहेगा।

अतः उक्त राजीनामा प्रार्थना पत्र को रेकर्ड पर लिया जाकर वादपत्र को जरिये राजीनामा विड्रो करना फरमावें।

चुॅकि मूल वाद में पक्षकारान के मध्य लोक आदालत की भावना से राजीनामा हो चुका है जिससे उक्त प्रकरण को अब आगे चलाने को काई औचित्य नही होने से विचाराधीन उक्त राजस्व प्रा.पत्र अ.धारा 212 आरटी एक्ट को जरिये पक्षकारान के मध्य वर्णित राजीनामा अनुसार जरिये राजीनाम विड्रो किया जाता है । निर्णय सरे ईजलास सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

सहायक कलेक्टर (एस.डी.ओ.)
सिरोही

सहायक कलेक्टर
सिरोही (राज.)